न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट रेलमगरा, जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी :– विनय कुमार सोलंकी (आर.जे.एस.)

दाण्डिक मूल प्रकरण संख्या :– 256/2022
प्रकरण का सी.आई.एस. नं. :– 298/2022
प्रकरण का सी.एन.आर. नं.:– RJRS100005912022
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या – 28/2022, महिला पुलिस थाना राजसमंद

राजस्थान राज्य : बनाम : **शंकरलाल उर्फ शोभालाल**

अपराध अन्तर्गत धारा 498ए, 406 भारतीय दण्ड संहिता

भाग – प्रथम

A

परिवादी	राजस्थान राज्य जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी रेलमगरा, जिला राजसमन्द।
प्रस्तुतकर्ता	थानाधिकारी महिला पुलिस थाना राजसमन्द
अभियुक्त का नाम व पता	शंकरलाल उर्फ शोभालाल पुत्र बद्रीलाल जाट, उम्र 30 साल, निवासी आकोदिया, पुलिस थाना कुंवारिया, जिला राजसमन्द (राज.)
अधिवक्ता अभियुक्त	श्री चावण्डसिंह शक्तावत व श्री शेलेन्द्र सिंह शक्तावत

B

अपराध की दिनांक	12.03.2022
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	02.04.2022
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	25.05.2022
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	13.08.2024
साक्ष्य प्रारम्भ की दिनांक	13.08.2024
निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक	04.04.2026
निर्णय दिनांक	04.04.2026
दण्डादेश की दिनांक	04.04.2026

C

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की रैंक	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अपराध अंतर्गत धारा	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	पारित दण्डादेश	धारा 428 जाब्ता फौजदारी के उद्देश्य के लिए अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि
01	शंकरलाल उर्फ शोभालाल	–	–	धारा 498 ए, 406	दोषमुक्त	–	–

भाग द्वितीय

अभियोजन / बचाव / न्यायालय गवाहान की सूची

अ–अभियोजन गवाहान

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह,पंच गवाह, अन्य गवाह)
पी.ड.01	श्रीमती रेखा	एफ.आई.आर. की ताईदकर्ता
पी.ड.02	श्रीमती टम्मु	वाकियाती शहादत अदाकर्ता
पी.ड.03	प्रकाशचन्द्र	वाकियाती शहादत अदाकर्ता
पी.ड.04	रोशनलाल	वाकियाती शहादत अदाकर्ता
पी.ड.05	जालमचंद	वाकीयाती शहादत अदाकर्ता

ब–बचाव गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह,पंच गवाह, अन्य गवाह)
–	–	–

स–न्यायालय का गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह,पंच गवाह, अन्य गवाह)
–	–	–

अभियोजन / बचाव / न्यायालय प्रदर्श

अ–अभियोजन प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नम्बर	विवरण
1	प्रदर्श पी–1	टाईपशुदा रिपोर्ट
2	प्रदर्श पी–2	चाक एफ.आई.आर.
3	प्रदर्श पी–3	फर्द पेशकशी विवाह का सामान
4	प्रदर्श पी–4	फर्द सुपुर्दगी विवाह का सामान
5	प्रदर्श पी–5	पुलिस बयान श्रीमती रेखा
6	प्रदर्श पी–6	पुलिस बयान श्रीमती टम्मुबाई
7	प्रदर्श पी–7	पुलिस बयान प्रकाशचन्द्र
8	प्रदर्श पी–8	पुलिस बयान रोशनलाल
9	प्रदर्श पी–9	पुलिस बयान जालमचन्द्र

ब–बचाव प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नम्बर	विवरण
–	–	–

स–न्यायालय प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नम्बर	विवरण
–	–	–

द–भौतिक वस्तुंए

क्र.सं.	भौतिक वस्तु नम्बर	विवरण
–	–	–

:: नि र्ण य :: **दिनांक: 04.04.2026**

01. इस प्रकरण में थानाधिकारी, महिला पुलिस थाना राजसमंद की ओर से दिनांक 25.05.2022 को अभियुक्त शंकरलाल उर्फ शोभालाल के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 498ए, 406 भा.दं.सं. में बाद अनुसंधान आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जिस पर बाद कार्यालय जाँच एवं अवलोकन अभियुक्त शंकरलाल उर्फ शोभालाल के विरुद्ध अंतर्गत धारा 498ए, 406 भा.दं.सं. के अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दाण्डिक मूल रजिस्टर में दर्ज किया गया।

02. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 12.03.2022 को प्रार्थीया श्रीमती रेखा पत्नी शंकरलाल उर्फ शोभालाल पुत्री मांगीलाल जाट, उम्र

26 वर्ष, निवासी आकोदिया का खेड़ा, पुलिस थाना कुंवारिया, जिला राजसमन्द हाल निवासी बाघपुरा थाना कुंवारिया, जिला राजसमन्द ने थानाधिकारी महिला पुलिस थाना राजसमन्द के समक्ष एक टंकित रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 इस आशय की पेश की कि उसका विवाह रिपोर्ट प्रस्तुति से करीब 09 वर्ष पूर्व हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार अग्नि के समक्ष सात फेरे फिरकर परिवारजन, रिश्तेदार एवं समाज के व्यक्तियों की मौजूदगी में शंकरलाल उर्फ शोभालाल पिता बद्रीलाल जाट निवासी आकोदिया का खेड़ा के साथ सम्पन्न हुआ था। विवाह के समय उसके माता–पिता द्वारा डायचे का सामान दिया था। विवाह के कुछ महिनो बाद वह ससुराल आती जाती रही। ससुराल रहने के दौरान् उसके पति का आचरण उसके प्रति अव्यवहारिक रहा। कुछ समय तक उसने विशेष ध्यान नहीं दिया किन्तु धीरे–धीरे उसे ज्ञात हुआ कि उसका पति अन्य महिला के साथ अवैध संबंध रखता है तथा कई मर्तबा फोन पर लम्बी–लम्बी बाते करता है। उसके द्वारा उक्त अवैध कार्य के संबंध में अपने पति से कहा तो उग्र होकर उसके साथ गाली गलोच करने लग गया और कहा कि साली रंडी उसकी मर्जी होगी जहां जाउंगा आउंगा तथा वह किसी से भी संबंध रखे किसी के भी साथ जाउं आउ तु उसे रोकने वाली कौन होती है। इसके अलावा उसका पति शंकरलाल उर्फ शोभालाल शराब एवं सिगरेट का आदी था, रात के समय वह शराब पीकर आता और उसके साथ गलत तरीके से व्यवहार करता और विरोध करने पर उसके साथ थप्पड़ों, लातो मुक्को से मारपीट कर देता। किन्तु वह बदनामी के डर से किसी को भी उसके पति के उक्त आचरण के बारे में नहीं बताती थी। किन्तु उसका पति अन्य महिला के साथ अवैध संबंध होने की वजह से उसके साथ गलत बर्ताव करता और कहता कि साली रंडी तु उसका घर छोड़कर अन्यत्र नाते चली जा जिससे वह पांच लाख रूपये झगड़े की राशि प्राप्त कर लेगा। अन्यथा यदि तुमने उसका घर नहीं छोड़ा और उसके आचरण के बारे में किसी के कोई शिकायत की अथवा कार्यवाही कराई तो तुझे वह जान से खत्म कर देगा और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पायेगा। उसके पति के आचरण को परेशान होकर उसने उसके ससुर बद्रीलाल एवं सास मगनीबाई को बताया तो उन्होंने कहा कि उनका लड़का जो भी कर रहा है वह सही कर रहा है। तुझे अगर रहना है तो या तो अपने पीहर से पांच लाख रूपये लाकर उन्हें दे अन्यथा तु नाते चली जा जिससे तुम्हारे नातायत पति से पांच लाख रूपये झगड़े के प्राप्त कर लेंगे। सास ससुर के

अलावा उसकी नणद सीमा भी उसके पति को उकसाती। आज से करीब तीन वर्ष पूर्व उसके पति ने उसके साथ मारपीट कर उसके समस्त जर जेवर खुलवाकर उसे घर से बाहर निकाल दिया तब से वह पीहर बाघपुरा आकर रहने लग गई। उसके पीहर में उसके पिता की कैंसर की वजह से मृत्यु हो चुकी है तथा पीहर वालों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि ससुराल वालों को पांच लाख रूपये दे सके। उसने अपनी मां एवं अपने ननिहाल वालों को बताया तो उन्होंने कहा कि समझाईश करेंगे। विगत समय में उसके परिवार वालों एवं रिश्तेदारों द्वारा कई मर्तबा उसके ससुराल वालों से आपसी समझाईश का प्रयास किया तो उन्होनें कहा कि तुम्हारे जो करना है कर लेना, वे मुकदमे और कानूनी कार्यवाही से नहीं डरते है। उसका पति उसे बाघपुरा आकर बार बार धमकी देकर जाता है कि साली रंडी अब कभी तु उसके यहां आ गई तो वापस जिंदा नहीं आयेगी। इस प्रकार उसके पति द्वारा उसके साथ लगातार शारीरिक व मानसिक रूप से क्रूरतापूर्ण व्यवहार कारित किया। अतः प्रार्थना की है कि सभी अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया जाकर उचित कानूनी कार्यवाही फरमावे तथा उसका डायचे का समस्त सामान एवं भैंस बरामद कर प्रार्थीया को दिलाई जावे।

03. प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत उक्त रिपोर्ट महिला पुलिस थाना, राजसमंद पर परिवाद भाग तृतीय के बतौर दर्ज की गई एवं उभय पक्षकारान के मध्य परामर्श उपरांत भी सहमति नहीं बनने से दिनांक 02.04.2022 को महिला पुलिस थाना राजसमंद पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 28/22 अन्तर्गत धारा 498ए, 406 भा.दं. सं. में दर्ज की जाकर अनुसंधान प्रारंभ किया गया एवं बाद अनुसंधान अभियुक्त शंकरलाल उर्फ शोभालाल के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 498ए, 406 भा.द.सं. के आरोप के तहत नतीजा चार्जशीट पेश की गयी, जिस पर अभियुक्त उक्त के विरूद्ध धारा 498ए, 406 भा.दं.सं. के तहत अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

04. न्यायालय द्वारा दिनांक 04.11.2022 को बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा 498ए, 406 भा.दं.सं. के तहत आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त ने आरोपों को अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

05. प्रकरण में दिनांक 13.08.2024 को प्रार्थीया एवं अभियुक्त के मध्य लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपराध अंतर्गत धारा 406, 498ए भा.दं.सं. के

तहत आपसी राजीनामा होने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर धारा 406 भा.दं.सं. का अपराध शमनीय प्रकृति का होने से उक्त धारा के तहत अनुमति प्रदान की जाकर अभियुक्त शंकरलाल उर्फ शोभालाल को अपराध अंतर्गत धारा 406 भा.दं.सं. के आरोप से बरूए राजीनामा दोषमुक्त घोषित किया गया। प्रकरण में अब अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 498ए भा.दं.सं. की हद तक अन्वीक्षा शेष रह जाती है।

06. प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में निम्न लिखित गवाह परीक्षित कराये गयेः–

क्र.सं.	अंकन	गवाह का नाम
1	पी.ड.01	श्रीमती रेखा
2	पी.ड.02	श्रीमती टम्मु
3	पी.ड.03	प्रकाशचन्द्र
4	पी.ड.04	रोशनलाल
5	पी.ड.05	जालमचंद

दस्तावेजी साक्ष्य में निम्न लिखित दस्तावेज पेश कर प्रदर्शित कराये गयेः–

क्र.सं.	प्रदर्श	दस्तावेज
1	प्रदर्श पी–1	टाईपशुदा रिपोर्ट
2	प्रदर्श पी–2	चाक एफ.आई.आर.
3	प्रदर्श पी–3	फर्द पेशकशी विवाह का सामान
4	प्रदर्श पी–4	फर्द सुपुर्दगी विवाह का सामान
5	प्रदर्श पी–5	पुलिस बयान श्रीमती रेखा
6	प्रदर्श पी–6	पुलिस बयान श्रीमती टम्मुबाई
7	प्रदर्श पी–7	पुलिस बयान प्रकाशचन्द्र
8	प्रदर्श पी–8	पुलिस बयान रोशनलाल
9	प्रदर्श पी–9	पुलिस बयान जालमचन्द्र

07. अभियुक्त का परीक्षण अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता किया गया तो अभियुक्त ने अपने विरूद्ध आई साक्ष्य को गलत बताया एवं साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा, जिस पर साक्ष्य सफाई बन्द की गयी।

08. बहस अंतिम अभियुक्त पक्ष की ओर से सुनी गयी। पत्रावली व संबंधित विधि का अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष अवधार्य बिन्दू यह है कि–

1. क्या परिवादीया श्रीमती रेखा का विवाह प्रार्थना पत्र प्रस्तुति की दिनांक 02.04.2022 से करीब 09 वर्ष पूर्व अभियुक्त के साथ होकर विवाह के कुछ समय पश्चात् अभियुक्त अन्य महिला से अवैध संबंध होने के संदर्भ में परिवादीया द्वारा विरोध किये जाने पर उसके साथ मारपीट कर अभियुक्त द्वारा पांच लाख रूपये झगड़े की राशि प्राप्त करने हेतु उसे अन्यत्र नाते चली जाने का कहते हुए परिवादीया के साथ शारीरिक व मानसिक क्रूरता कारित कर ऐसा आचरण किया गया जिससे उसके जीवन, अंग या स्वास्थ्य को गंभीर क्षति या खतरा कारित करने की सम्भावना है, जो भा.द.सं. की धारा 498ए के अधीन दण्डनीय अपराध है ?

2. यदि हाँ, तो दण्डादेश क्या रहेगा ?

09. दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी के अनुपस्थित रहने की दशा में अभियोजन पक्ष की ओर से कोई तर्क न्यायालय के समक्ष बहस अंतिम के समर्थन में न्यायालय के समक्ष नही रखे जा सके है।

10. इसके विपरीत दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क रहा कि अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षीगण की साक्ष्य में घोर विरोधाभास है तथा स्वयं प्रार्थीया ने अपनी साक्ष्य के दौरान रिपोर्ट/परिवाद के अभिवचनों की पुष्टि नहीं की गई है एवं न ही परीक्षित अन्य साक्षीगण जो प्रार्थीया के परिजन है, के द्वारा रिपोर्ट/परिवाद के अभिवचनों की ताईद की गई है बल्कि प्रार्थीया व अन्य गवाहान पक्षद्रोही घोषित होकर दहेज की मांग के लिये प्रताडित करने एवं परिवादिया के साथ मारपीट कर शारीरिक व मानसिक रूप से क्रूरता करने से स्पष्टतया इंकार करते है एवं किसी भी प्रकार से अभियोजन कथा का समर्थन साक्ष्य में नहीं करते हैं। इस प्रकार अभियोजन पक्ष, अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किया जावे।

11. न्यायालय के समक्ष उक्त विचारणीय बिन्दुओं के संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित करवाये गये साक्षियों की साक्ष्य का अवलोकन करें तो सर्वप्रथम गवाह पी.ड. 01 श्रीमती रेखा, जो कि स्वयं प्रार्थीया है, ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये कि उसकी शादी शंकरलाल उर्फ शोभालाल निवासी आकोदिया से करीब 12 वर्ष पूर्व हुई थी। विवाह के समय उसके पिताजी ने उसे

उसके पति व ससुराल वालों को हैसियत अनुसार स्त्रीधन उपहार आदि दिये थे। विवाह से उसके कोई संतान नहीं है। उसके पति के साथ उसके वैचारिक मतभेद हो गये। वह पांचवी कक्षा तक पढ़ी है। यह कहना सही है कि उसने अपने पति व ससुराल वालों के विरूद्ध रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 देकर मुकदमा दर्ज करवाया था जिसकी चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी–2 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। फर्द पेशकशी प्रदर्श पी–3 (विवाह के समय दिया गया उपहार) है, फर्द सुपुर्दगी प्रदर्श पी–4 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस बयान प्रदर्श पी–5 गवाह को पढ़कर सुनाया गया जिसके ए से बी भाग को गवाह ने सही होना स्वीकार किया। सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त गवाह को पक्षद्रोही घोषित करवाया जाकर की गई जिरह के दौरान गवाह ने कथन किया कि वह पांचवी कक्षा तक पढ़ी है। गवाह ने यह स्वीकार किया कि उसनेअपने पति व ससुराल वालों के विरूद्ध रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 देकर मुकदमा दर्ज करवाया था जिसकी चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी–2 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है। गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि फर्द पेशकशी प्रदर्श पी–3 फर्द सुपुर्दगी प्रदर्श पी–4 पर उसके हस्ताक्षर है तथा गवाह अपने पुलिस बयान प्रदर्श पी–5 के ए से बी सुसंगत भाग को सही होना स्वीकार करती है। गवाह यह भी स्वीकार करती है कि उसका उसके पति के साथ राजीनामा हो गया है।

12. अभियोजन पक्ष की ओर से घटना की वाकियाती साक्षी के बतौर प्रार्थीया की माता एवं प्रार्थीया के भाई को क्रमशः बतौर गवाह पी.ड. 02 श्रीमती टम्मु व पी.ड. 03 प्रकाशचन्द्र परीक्षित करवाये गये है। गवाहान उक्त द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में प्रार्थीया श्रीमती रेखा का विवाह शंकरलाल उर्फ शोभालाल के साथ करीब 12 वर्ष पूर्व होने के कथन अवश्य किये है किंतु उक्त गवाहान द्वारा प्रार्थीया श्रीमती रेखा का अपने पति से वैचारिक मतभेद हो जाने से मुकदमा दर्ज कराने का कथन किया है। गवाहान् अभियोजन कथा की ताईद नहीं करने से सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त गवाहान को पक्षद्रोही घोषित करवाया जाकर की गई जिरह के दौरान गवाहान ने यह स्वीकार किया कि अभियुक्त ने प्रार्थीया श्रीमती रेखा से अथवा उनसे दहेज की मांग नहीं की तथा उसकी बेटी/बहन व दामाद के मध्य राजीनामा हो गया है। गवाहान् द्वारा अपने अपने पुलिस बयान क्रमशः प्रदर्श पी–6 एवं प्रदर्श पी–7 के ए से बी भाग को सुनकर सही होना तथा सी से डी भाग को अस्वीकार किया है।

13. अभियोजन पक्ष की ओर से वाकियाती गवाहान् के बतौर गवाह पी.ड. 04 रोशनलाल एवं पी.ड. 05 जालमचंद को परीक्षित करवाये गये है, जो दोनों ही गवाह पूर्णतया पक्षद्रोही रहते हुए रेखा को उनकी रिश्तेदार होने से पहचानना तथा विवाह पश्चात् रेखा एवं उसके पति के मध्य वैचारिक मतभेद हो जाने के कारण मुकदमा दर्ज करवाना तथा वर्तमान में इन दोनों के मध्य राजीनामा हो जाने के कथन करते है। दौराने जिरह अभियोजन अधिकारी गवाह अपने अपने पुलिस बयान क्रमशः प्रदर्श पी–8 एवं प्रदर्श पी–9 के ए से बी भाग को सही होना तथा सी से डी भाग को गलत होना स्वीकार किया है तथा दोनों ही गवाहान् द्वारा अभियुक्त का रेखा से दहेज की मांग करने अथवा दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने के सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है।

14. इस प्रकार पत्रावली पर अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत हुई समस्त दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के अवलोकन के पश्चात् अवधार्य बिन्दू के संबंध में न्यायालय का मत इस प्रकार से है कि हस्तगत प्रकरण प्रार्थीया श्रीमती रेखा की ओर से दिनांक 02.04.2022 को थानाधिकारी, महिला पुलिस थाना राजसमंद के समक्ष प्रस्तुत की गई टंकित रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 से उद्भव में आया है। उक्त रिपोर्ट में वर्णित अभिवचनों के मुताबिक प्रार्थीया को उसके ससुराल से रिपोर्ट उक्त की प्रस्तुति से करीब तीन वर्ष पूर्व उसका समस्त स्त्रीधन छीनकर घर से निकाल दिये जाने एवं उक्त रिपोर्ट से प्रस्तुति से पूर्व अभियुक्त का बाघपुरा में आकर दहेज की मांग को लेकर जान से खत्म कर देने की धमकी के पश्चात् यह रिपोर्ट थानाधिकारी, महिला पुलिस थाना राजसमंद के समक्ष उसके द्वारा पेश की गई है, किंतु रिपोर्ट कराने में कारित हुई देरी के संबंध में कोई विशेष स्पष्टीकरण अभियोजन पक्ष तथा प्रार्थीया स्वयं जो न्यायालय के समक्ष बतौर पी.ड. 01 परीक्षित हुई है, के द्वारा अपने सशपथ बयानों के माध्यम से न्यायालय के समक्ष नहीं दिया गया है।

15. इसके अतिरिक्त प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट में सास, ससुर एवं नणद के विरूद्ध दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित किये जाने के आक्षेप वर्णित किये है किंतु बाद अनुसंधान, अनुसंधान अधिकारी द्वारा केवल मात्र अभियुक्त शंकरलाल उर्फ शोभालाल की हद तक धारा 498ए, 406 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित मानते हुए आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। अन्य अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई अपराध न प्रमाणित

माने जाने के संदर्भ में प्रार्थीया द्वारा किसी प्रकार की कोई विधिक चाराजोही न्यायालय के समक्ष दौराने विचारण किया जाना दर्शित नहीं होती है। इस संबंध में प्रार्थीया स्वयं बतौर गवाह पी.ड. 01 परीक्षित हुयी है, जिसने भी अपने बयान के दौरान अन्य अभियुक्तगण सास, ससुर एवं नणद क्रमशः बद्रीलाल, मगनी एवं सीमा के आक्षेपित कृत्य के संबंध में कोई कथन न्यायालय के समक्ष नहीं किये हैं।

16. जहां तक प्रकरण में अभियुक्त पर शेष रहे आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 498ए भा.दं.सं. का प्रश्न है तो इस संबंध में प्रार्थीया न्यायालय के समक्ष बतौर पी. ड. 01 परीक्षित हुई है, जिसने अपने सशपथ बयानात में स्वयं का विवाह अभियुक्त शंकरलाल उर्फ शोभालाल के साथ बयान से करीब 12 वर्ष पूर्व होने के अभिवचन करते हुए अपने पति अर्थात् अभियुक्त शंकरलाल उर्फ शोभालाल के साथ वैचारिक मतभेद होने जाने एवं तथा अपने पति द्वारा उससे दहेज की मांग नहीं किये जाने तथा दहेज की मांग को लेकर मारपीट नहीं किये जाने के कथन किये है। उल्लेखनीय है कि गवाह द्वारा अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किये जाने पर सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा पक्षद्रोही घोषित करवाये जाने पर गवाह ने अपने पति व ससुराल वालों के विरूद्ध रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 पेश कर मुकदमा दर्ज करवाया जाना स्वीकार किया है किंतु गवाह ने यह भी स्वीकार किया कि उसका अपने पति शंकरलाल उर्फ शोभालाल के साथ राजीनामा हो गया है। इसके अतिरिक्त स्वयं प्रार्थीया ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह के दौरान यह स्वीकार किया कि उसका पति बाहर रहता था व उसे साथ नहीं ले गया इस कारण उसने मुकदमा दर्ज करवाया तथा उसने अपने पति अर्थात् अभियुक्त को विवाह विच्छेद के लिए कहा तो उसने स्वीकार कर उसके पक्ष में विवाह विच्छेद का दस्तावेज निष्पादित कर दिया जिससे उनके मध्य राजीनामा हो गया है। इस प्रकार स्वयं प्रार्थीया श्रीमती रेखा द्वारा अपनी साक्ष्य में रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 की लैशमात्र भी पुष्टि नहीं की गई है। न्यायालय मत में प्रार्थीया श्रीमती रेखा के सशपथ बयानात व उसकी ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 में वर्णित अभिवचन परस्पर विरोधाभासी तथा तर्कसंगत प्रतीत होने की वजह से उक्त गवाह की साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है।

17. उक्त गवाह के अतिरिक्त अभियोजन पक्ष की ओर से परिवादिया के पारिवारिक सदस्यों के बतौर गवाह पी.ड. 02 श्रीमती टम्मु व पी.ड. 03 प्रकाशचन्द्र

को परीक्षित करवाये गये है। उक्त गवाहान के सशपथ बयानों को अवलोकन करें तो उनके द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में अपनी पुत्री एवं बहिन प्रार्थीया श्रीमती रेखा का विवाह शंकरलाल उर्फ शोभालाल के साथ होने के कथन अवश्य किये गये है किंतु उक्त गवाहान द्वारा अपनी साक्ष्य में अभियुक्त द्वारा प्रार्थीया को दहेज की मांग को लेकर मारपीट कर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरता कारित करने बाबत् कोई कथन नहीं किये गये है बल्कि परिवादिया का उसके पति से वैचारिक मतभेद हो जाना एवं अभियुक्त शंकरलाल उर्फ शोभालाल द्वारा उनसे दहेज की मांग नहीं किया जाना बताया है। उक्त गवाहान द्वारा अभियोजन कथा की ताईद नहीं किये जाने से सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा गवाहान उक्त को पक्षद्रोही घोषित करवाया जाकर की गई जिरह के दौरान गवाहान ने यह भी स्वीकार किया कि उनकी बेटी / बहिन का उसके पति शंकरलाल उर्फ शोभालाल से राजीनामा हो गया है। गवाहान ने अपने पुलिस बयान क्रमशः प्रदर्श पी–6 व पी–7 का सी से डी भाग अस्वीकार होने का कथन किया है। इस प्रकार उक्त गवाहान द्वारा प्रार्थीया से अभियुक्त द्वारा दहेज की मांग को लेकर क्रूरता कारित बाबत् कोई कथन नहीं किये जाने से प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 की पुष्टि नहीं हो पाती है।

18. गवाह पी.ड. 04 रोशनलाल एवं पी.ड. 05 जालमचंद वाकियाती साक्षीगण है, जो अपनी साक्ष्य में रेखा का रिश्तेदार होना जाहिर करते हुए उसका विवाह शंकरलाल उर्फ शोभालाल के साथ होना तथा विवाह पश्चात् इनके मध्य वैचारिक मतभेद होने के कारण मुकदमा दर्ज कराने का कथन करते है। उक्त गवाहान् को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित करवाया जाकर दौराने जिरह गवाह अपने अपने पुलिस बयान क्रमशः प्रदर्श पी–8 एवं प्रदर्श पी–9 के सी से डी भाग को अस्वीकार करते है तथा अभियुक्त द्वारा रेखा से दहेज की मांग की हो अथवा दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया हो, उनकी जानकारी में नहीं होना कथन करते है। गवाहान उक्त द्वारा किये गये उपरोक्त आशय के सशपथ कथनों से अभियोजन दस्तावेजात् की किसी भी प्रकार से पुष्टि नहीं हो पाती है।

19. इस प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से पेश हुई समस्त दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य किसी भी लिहाज से अभियुक्त शंकरलाल उर्फ शोभालाल द्वारा प्रार्थीया श्रीमती रेखा के विरूद्ध शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित कर दहेज में पांच लाख रूपये की मांग कर प्रार्थीया के साथ मारपीट कर शारीरिक व

मानसिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरता कारित करने के संबंध में लगाये गये आरोप को साबित करने के प्रयोजन से काफी नहीं है। इसके अतिरिक्त अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित समस्त साक्षीगण की साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो स्वयं प्रार्थीया पी.ड. 01 तथा परीक्षित अन्य किसी भी साक्षी का ऐसा भी कोई कथन नहीं रहा कि अभियुक्त द्वारा प्रार्थीया से क्रूरतापूर्ण एवं निर्दयतापूर्ण व्यवहार किया गया हो जिससे प्रार्थीया का जीवन, अंग या स्वास्थ्य को गंभीर क्षति या खतरा कारित होना संभाव्य हो बल्कि प्रार्थीया स्वयं एवं उसकी माता तथा भाई एवं अन्य वाकियाती गवाहान् द्वारा एक स्वर में अभियुक्त से वैचारिक मतभेद हो जाने तथा अभियुक्त द्वारा पैसे की मांग नहीं करने के कथन करते हुये प्रार्थीया व अभियुक्त शंकरलाल उर्फ शोभालाल के मध्य राजीनामा हो जाना बताया है तथा परिवादिया से किसी प्रकार की दहेज की मांग नहीं करने के कथन किये गये है।

20. अतः उपरोक्त समग्र विवेचन के उपरांत अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असफल रहा है कि परिवादीया श्रीमती रेखा का विवाह प्रार्थना पत्र प्रस्तुति की दिनांक 02.04.2022 से करीब 09 वर्ष पूर्व अभियुक्त के साथ होकर विवाह के कुछ समय पश्चात् अभियुक्त अन्य महिला से अवैध संबंध होने के संदर्भ में परिवादीया द्वारा विरोध किये जाने पर उसके साथ मारपीट कर अभियुक्त द्वारा पांच लाख रूपये झगड़े की राशि प्राप्त करने हेतु उसे अन्यत्र नाते चली जाने का कहते हुए परिवादीया के साथ शारीरिक व मानसिक क्रूरता कारित कर ऐसा आचरण किया गया जिससे उसके जीवन, अंग या स्वास्थ्य को गंभीर क्षति या खतरा कारित करने की सम्भावना हो। लिहाजा अभियुक्त शंकरलाल उर्फ शोभालाल आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 498ए भा.द.सं. के आरोप से साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

:: आदेश ::

21. अतः अभियुक्त शंकरलाल उर्फ शोभालाल पुत्र बद्रीलाल जाट, उम्र 30 साल, निवासी आकोदिया, पुलिस थाना कुंवारिया, जिला राजसमन्द को अपराध अंतर्गत धारा 498ए भारतीय दंड संहिता के आरोप से साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

22. अभियुक्त शंकरलाल उर्फ शोभालाल को अपराध अंतर्गत धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से बरूए राजीनामा दिनांक 13.08.2024 को दोषमुक्त

किया जा चुका है।

23. अभियुक्त के न्यायालय में नियमित उपस्थिति बाबत् जमानत एवं मुचलके धारा 437–क द.प्र.सं. के अंतर्गत माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा पारित आदेश, यदि हो, के अध्यधीन आज दिनांक से 6 माह के पश्चात् नियमानुसार रद्द समझे जावें।

24. प्रकरण में पीड़िता को हुई क्षति पीडित प्रतिकर स्कीम के प्रावधानों एवं अनुसूची मे वर्णित क्षति के दायरे मे आना प्रकट नही हुई है। अतः जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रतिकर हेतु अनुशंसा की आवश्यकता नही रह जाती है।

25. प्रकरण में जब्तशुदा कोई माल यदि हो तो बाद गुजरने मियाद अपील / रिवीजन नियमानुसार नष्ट किया जावे।

(विनय कुमार सोलंकी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट रेलमगरा
जिला राजसमन्द।

26. निर्णय आज दिनांक 04.04.2026 को मेरे द्वारा विवृत न्यायालय में लिखाया व सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

(विनय कुमार सोलंकी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट रेलमगरा
जिला राजसमन्द।